

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 48/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2018

सा.का.नि. (अ), - जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 7, 8, 28, 38, 72 और 73 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाना जरूरी है ।

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, -

(1) अध्याय 7 में, कॉलम (4) के समक्ष दी गई प्रविष्टि के स्थान पर,-

- (i) टैरिफ मद 0713 20 10, 0713 20 20 और 0713 20 90, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "70%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) टैरिफ मद 0713 40 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "40%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(2) अध्याय 8 में,-

- (i) टैरिफ मद 0802 11 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "42 रुपए प्रति किलोग्राम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) टैरिफ मद 0802 12 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "120 रुपए प्रति किलोग्राम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (iii) टैरिफ मद 0802 31 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "120%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (iv) टैरिफ मद 0808 10 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "75 %" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(3) अध्याय 28 में,-

- (i) टैरिफ मद 2809 20 10, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) टैरिफ मद 2810 00 20, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “17.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(4) अध्याय 38में,-

- (i) टैरिफ मद 3822 00 90, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
- (ii) टैरिफ मद 3824 99 90 के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “17.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(5) अध्याय 72 में,-

- (i) टैरिफ मद 7210 12 10 और 7210 1290, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “27.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) टैरिफ मद 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90 और 7219 90 90, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “22.5%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) टैरिफ मद 72251100, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(6) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90 और 7326 90 99, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “25%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं.एफ. संख्या 341/15/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार